170

संख्या– 117 /XLI-1/13-12(प्रशि)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढवाल पौड़ी।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। देहरादून दिनांक : 10 मई 2013

विषयः– राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर की 1.65है0 भूमि को श्रीनगर हैलीपैड निर्माण हेतु नागरिक उड्डयन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौडी के पत्र संख्याः 372/पी0ए0/2013, दिनाक 25 अप्रैल 2013, निदेशक, प्रशिक्षण के पत्र संख्याः 141–43/एसपीआईयू/भूमि/श्रीनगर/2013, दिनाक 07 मई 2013 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद–पौडी के श्रीनगर में हैलीपैड की स्थापना हेतु वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्याः260/वित्त अनुभाग–3/2002, दिनाक 15–02–2002 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत ग्राम–पुराना श्रीनगर, पट्टी, कटुलस्यूं, तहसील श्रीनगर, जिला–गढ़वाल नॉन जैड0ए0 खतौनी खाता संख्या–43, खसरा संख्या–334 जो राजकीय अभिलेखों में उत्तराखण्ड सरकार प्रबन्धक आई0टी0आई0 के नाम दर्ज है, मे अंकित 1.850है0 में से 1.65हैक्टेयर भूमि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अनुसार नागरिक उड्डयन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हों ।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति भी प्राप्त हो चुकी है।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लायी जायेगी।

4– निर्माणधीन कार्यों तथा पूर्व से स्थापति भवन यदि 1.65है0 के अन्तर्गत आते हैं, उसका निर्माण उड्डयन विभाग द्वारा किया जायेगा।

5– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

7– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है, उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पडी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

8– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

9– भूमि हस्तांतरण की प्रकिया में धारा–132 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में दिये गये निर्णय का भी संज्ञान लिया जाय।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, नागरिक उडड्यन/राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– निदेशक, पशिक्षण विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
4– अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– निदेशक, एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6– प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर, गढ़वाल।
7– परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, अजबपुर, देहरादून।
8– प्रभारी, मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
9–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव।